MASTER CIRCULAR

PFRDA/MASTERCIRCULAR/2024/02/CRA-02 **31 January 2024**

To,

i. Central Recordkeeping Agency ('CRA')

ii. National Pension System Trust ('NPS Trust')

iii. Point of Presence - Atal Pension Yojana ('PoP – APY')

Madam / Sir,

eAPY – Online facility to ease onboarding and seeding of Aadhaar for APY subscribers

1. This Master Circular is issued in exercise of the powers conferred under Section 14(1) read with Section 14(2)(e) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013.

2. This Master Circular rescinds the existing guidelines/instructions on the subject of "eAPY – Online facility to ease onboarding and seeding of Aadhaar for APY subscribers" and consolidates at one place. The list of underlying circulars rescinded in this Master Circular is furnished in the Appendix.

This Master Circular is issued with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

-sd-

(**Ashish Kumar**)
Chief General Manager

INDEX
PART I – Introduction
PART II – General Guidelines
PART III – Specific Guidelines/Instructions
PART IV – List of circulars consolidated in the Master Circular

PART I – Introduction

1. The Atal Pension Yojana (APY) was introduced by the Government of India to foster a pension-inclusive society, providing a means for every Indian citizen in the unorganized sector to secure their income during old age. Administered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), the scheme operates within the National Pension System (NPS) framework. Banks and branches of the Department of Post which are acting as APY Service Providers (APY-SP) (hereinafter referred to as 'PoP – APY').

2. The Government of India officially notified APY under Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits, and Services) Act, 2016, on May 11, 2017. Further clarification was provided through a UIDAI circular dated November 25, 2019.

3. To enhance accessibility and simplify the subscription process, Protean e-Governance Technologies' Central Recordkeeping Agency (PCRA) has introduced eAPY. This digital facility utilizes Aadhaar eKYC/XML/Virtual ID, providing an additional option for seamless digital enrollment, lead generation mode that can be used by the Well-wishers (someone known to the subscriber) or by the individuals who are not able to approach the proper channel to open an APY account and online feature for migration of Swavalamban subscribers to APY. This eliminates the need to visit a bank branch, saving time, effort, costs, and offering significant convenience.

PART II – General Guidelines

4. The compliance obligation of the intermediary/entity shall not be confined merely to the Master Circular but, also the applicable laws.

5. This Master Circular shall take effect from the date of its issuance but shall be without prejudice to their (*earlier issued circulars*) operation and effect, for the period when they were in force, until them being subsumed under the Master Circular. Based on the above caveat, Part IV containing the list of circulars consolidated in the Master Circular shall stand rescinded with the issuance of this Master Circular, such that they are subsumed in the Master Circular and for all purpose and intent, remain operative, with no break of continuity.

6. Notwithstanding such rescission of any circular, upon their merger in the Master Circular, or otherwise, anything done or any action taken or purported to have been done or taken, or to be taken hereafter, under the circulars now rescinded (*for the period of their operation*)

shall be construed to have been validly taken as if the said circulars are in full force and effect and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

7. The previous operation of the rescinded circulars or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred, any penalty, any order passed, any violation committed, any investigation, legal proceedings pending in terms of the circular (*now rescinded*), shall be treated as if the circulars are in full force and effect, and shall remain unaffected by their rescission, in any manner.

PART III – Specific Guidelines/Instructions

8. The eAPY facility empowers potential APY subscribers to register online through the service provided by PCRA, facilitating access to APY services. This feature allows subscribers to engage with the system effortlessly and conveniently in a paperless manner. The eAPY facility is offered at no cost, and there are no additional charges associated with its usage. Prospective APY subscribers can register via PCRA's portal and "APY and NPS Lite," mobile app using the following methods:

   (i) Offline XML-based Aadhaar KYC

   (ii) Online Aadhaar-based eKYC

   (iii) Virtual ID

9. Prospective subscriber data, gathered through e-KYC framework, will be shared with their respective banks via online exchange. This enables the setup of an auto-debit for the chosen pension amount. Subsequent services for APY account holders will be handled by the respective PoP – APY. As per the new e-APY which is API based, details gathered through Aadhaar will be sent to PoP – APY for verification. Post verification the prospective subscriber will be allowed to complete the registration and PRAN will be generated on real time basis. These subscriber registration details along with PRAN will be shared with PoP – APY for debiting first contribution and setting up SI for the PRAN.

10. Subscribers opting for eAPY registration should ensure the following:

    (i) The demographic information provided during eAPY registration matches the information in bank records.

(ii) The savings account has sufficient balance for the first APY installment, based on the chosen pension amount (Rs 1000 - Rs 5000).

(iii) APY account activation occurs after authentication of information retrieved from Aadhaar, including Name and Date of Birth.

PoPs–APY notifies subscribers of online registration rejections, providing reasons, and encourages resubmission of their requests after rectification.

11. PCRA facilitates Aadhaar seeding for existing APY subscribers through a consent mechanism, available via the CRA portal and "APY and NPS Lite" mobile app. PoPs – APY can also collect Aadhaar details with consent for seeding, using the file format provided by CRA. When opting for Aadhaar seeding through the eAPY facility, subscribers must ensure that their name and Date of Birth (DoB) align with CRA records.

12. All PoPs–APY are encouraged to include an eAPY link (https://enps.nsdl.com/eNPS/ApySubRegistration.html) on their corporate websites, enhancing customer onboarding and providing guidance on Aadhaar seeding.

13. PCRA shall make available guidelines/SOPs on eAPY for APY subscribers on its website, ensuring information is readily available for stakeholders.

PART IV - List of circulars consolidated in the Master Circular

Sl.	Circular No.	Date	Subject
1	PFRDA/2021/44/SUP-CRA/17	27 October 2021	Facility of Online APY Subscription through Aadhaar e KYC
2	PFRDA/2022/08/SUP-CRA/02	21 April 2022	eAPY - Ease of onboarding through Aadhaar
3	PFRDA/2023/02/SUP-CRA/02	10 January 2023	Empowering APY Subscribers with ease of Aadhaar Seeding - Launch of Seeding Convenience through CRA Portal & Mobile App

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

मास्टर परिपत्र

PFRDA/MASTERCIRCULAR/2024/02/CRA-02 **31 जनवरी 2024**

प्रति,

i. केंद्रीय अतिलेखपाल अतिकरण ('सीआरए')
ii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ('एनपीएस ट्रस्ट')
iii. उपस्थिति अस्थित्व - अटल पेंशन योजना ('पीओपी - एपीवाई')

महोदया / महोदय,

ईएपीवाई – एपीवाई अभिदाताओं के लिए ऑनबोलडिंग औ आधार सीलडिंग को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुलवधा

1. यह मास्टर पररपत्र, पेंशन ननधि निननयामक और निकास प्रानिकरण अनिननयम, 2013 की धारा 14 (1) के साथ पठित धारा 14 (2) (ङ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी नकया गया है।

2. यह मास्टर पररपत्र, "ईएपीवाई - एपीवाई अतिदाताओं के लिए ऑनबोतडिंग और आधार सीतडंग को आसान बनाने के निए ऑनलाइन सुविधा" निषय पर मौजूदा नदशाननदेशों / तनदेशों को तनरतसि करके एक स्थान पर समेनकत करता है। इस मास्टर पररपत्र में तनरतसि नकए गए अंतननिनहत पररपत्रों की सूची पररनशष्ट में दी गई है।

यह मास्टर पररपत्र सक्षम प्रानिकारी के अनुमोदन से जारी नकया गया है।

भवदीय,

-sd-

(**आशीष कुमार**)
मुख्य महाप्रबंधक

सूची
भाग I – पररचय
भाग II – सामान्य नदशाननदेश
भाग III – निनशष्ट नदशाननदेश / तनदेश
भाग IV – मास्टर पररपत्र में समेनकत तकए गए पररपत्रों की सूची

भाग I – पररचय

1. अटि पेंशन योजना (एपीि◌ाई) भारत सरकार द्वारा पेंशन-समाि◌ेशी समाज को बढाि◌ा देने के निए शुरू की गई थी, जो असोंगनित क्षेत्र के प्रत्येक भारतीय नागररक हेि◌ु वृद्धाविा के दौरान उनकी आय को सुरनक्षत करने के निए एक माध्यम प्रदान करती है। पेंशन तनतध तवननयामक और निकास प्रानिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशानसत, यह योजना राष्ट्र ◌ीय पेंशन प्रणाि◌ी (एनपीएस) संरचना के भीतर सोंचानित होती है। बैंक और डाक निभाग की शाखाऐं एपीि◌ाई सेि◌ा प्रदाताओों (एपीि◌ाई-एसपी) के रूप में कायि कर रही हैं (इसके बाद 'पीओपी
- एपीि◌ाई' के रूप में संदतिि◌ि)।

2. भारत सरकार द्वारा एपीि◌ाई को आिार (नित्तीय और अन्य सहातयतकयों, प्रसुतवधाओं और सेि◌ाओों का िनक्षत पररदान) अनिननयम, 2016 की ि◌ारा 7 के अंिगिि तदनांक 11 मई, 2017 को अनिसूनचत नकया गया। इसके अलावा यूआईडीएआई द्वारा तदनांक 25 निोंबर, 2019 के पररपत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रदान नकया गया था।

3. सदस्यता प्रनिया की पहुोंच बढाने और उसे सरि बनाने के निए, प्रोनटयन ई-गिनेंस टेक्नोि◌ॉजीज केंद्रीय अतिलेखपाल अतिकरण (पीसीआरए) ने ईएपीि◌ाई को प्रिुि तकया है। यह नडनजटि सुनिि◌ा आिार ईकेि◌ाईसी /एक्सएमएि/वचुिअल आईडी का उपयोग करिे हुए ननबाि◌ि नडनजटि नामाोंकन, लीड जनरे शन मोड तजसका उपयोग शुि◌तचंि◌कों (ग्राहक के पररतचि व्यस्थि) या उन व्यस्थियों द्वारा तकया जा सकिा है जो एपीवाई खाि◌ा खोलने के तलए उतचि चैनल से संपकि करने में सक्षम नहीं हैं और स्वावलंबन ग्राहकों को एपीवाई में माइग्रेशन के तलए एक ऑनलाइन निकल्प प्रदान करती है। इस महत्त्वपूणि सुतवधा को पेश तकए जाने से बैंक की शाखा में जाने की जरूरि समाप्त होि◌ी है, तजससे समय, प्रयास और ि◌ागत की बचि होि◌ी है।

भाग II – सामान्य लिशालनिेश

4. मध्यि / इकाई का अनुपालन दातयत्व मास्टर पररपत्र िक ही सीतमि नही,ं बस्थि साथ-साथ लागू कानूनों से ि◌ी सम्बद्ध होगा।

5. यह मास्टर पररपत्र इसके जारी होने की तितथ से प्रिावी होगा, तकन्तु उसके (पूवि में जारी तकए गए पररपत्रों) के लागू होने की स्थिति में उनके संचालन और प्रिाव के प्रति पूवाि◌ग्रह से िब िक मुि◌ि होगा, जब िक तक उन्हें मास्टर पररपत्र के ि◌हि शातमल नहीं कर तलया जाए। उपयुि◌ि चेि◌ावनी के आधार पर, मास्टर पररपत्र में समेतकि तकए गए पररपत्रों की सूची वाले ि◌ाग IV में शातमल पररपत्रों को इस मास्टर पररपत्र के

साथ तनरि कर तदया जाएगा, िातक वे मास्टर पररपत्र में सस्थितलि हो जाएँ और सिी उद्देश्ोिं और लक्ष्ोिं की प्रास्थि केतलए सिि रूप से लागू रहें।

6. तकसी िी पररपत्र के ऐसे तनरसन के बावजूद, मास्टर पररपत्र में उनके तवलय पर, या अन्यथा, अब तनरि तकए गए पररपत्रों के िहि (उनके प्रविन की अवतध के तलए) की गई या तिाई गई या कतथि रूप से की गई या तिाई गई या की जाने वाली या इसके बाद तिाई जाने वाली तकसी िी कारि वाई को वैध रूप से तकया हुआ माना जाएगा जैसे तक ति पररपत्र पूरी िरह लागू और प्रिावी हों और वे तकसी िी िरह से उनके तनरिीकरण से अप्रिातवि रहेंगे।

7. तनरि तकए गए पररपत्रों का तपछला प्रविन या उसके िहि तवतधवि रूप से तकये या तिाये गए कोई िी अतधकार, तवशेषातधकार, बाध्यिा या दातयत्व, जो अतजिि, उपातजिि या वहन तकया गया है, कोई िी आदेश पारिि, कोई उल्लंघन, कोई िी जांच, पररपत्रों (तजन्हें अब तनरि कर तदया गया है) के संदिि में लंतबि कानूनी कायिवाही, इस प्रकार मानी जाएगी, मानो पररपत्र पूरी िरह से प्रवृत्त और प्रिावी हों और वे तकसी िी िरीके से उनके तनरसन से अप्रिातवि रहेंगे।

भाग III – भवभशष्ट भदशाभनदेश / भनदेश

8. ईएपीिाई सुतनिा सोंभातनत एपीिाई अतिदािाओं को पीसीआरए द्वारा प्रदान की गई सेिा के माध्यम से ऑनिाइन पोंजीकरण करने का अनिकार देती है, नजससे एपीिाई सेिाओं तक पहुोंच की सुतनिा नमिती है। यह सुतनिा अतिदािाओं को कागज रनहत तरीके से सहजता और सुतवधाजनक रूप से प्रणाली के साथ जुड़ने की अनुमनत देती है। ईएपीिाई सुतनिा नबना नकसी िागत के पेश की जाती है, और इसके उपयोग से जुड़े कोई अनतररि शुल्क नही ों होिे हैं। संिातवि एपीिाई अतिदािा ननम्ननिक्तखत पद्धतियों का उपयोग करके पीसीआरए के पोटिि और "एपीिाई और एनपीएस िाइट" मोबाइि ऐप के माध्यम से पोंजीकरण कर सकते हैं :

(i) ऑफिाइन एक्सएमएि आिाररत आिार के िाईसी

(ii) ऑनिाइन आिार आिाररत ईके िाईसी

(iii) वचुिअल आईडी

9. ई-केवाईसी फ्रेमवकि के माध्यम से एकत्र तकए गए संिातवि अतिदािा आंकड़ों को ऑनलाइन एक्सचेंज के माध्यम से उनसे संबंतधि बैंकों के साथ साझा तकया जाएगा। यह चयतनि पेंशन रातश के तलए एक ऑटो-डेतबट के सेट्अप को सक्षम बनािा है। एपीवाई खािाधारकों के तलए उसके बाद की सेवाओं का प्रबन्धन

पीओपी - एपीवाई द्वारा तकया जाएगा। नए ई-एपीवाई केअनुसार, जो तक एपीआई पर आधारित है, आधार के जररये एकतत्रि तववरण सत्यापन केतलए पीओपी-एपीवाई को िेजा जाएगा। सत्यापन केबाद िावी अतिदाि‍ा को पंजीकरण पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और वाितवक समय के आधार पर प्रान (PRAN) सृतजि तकया जाएगा। प्रान (PRAN) केसाथ अतिदाि‍ा पंजीकरण तववरणों को पीओपी-एपीवाई के साथ साझा तकया जाएगा िातक पहले योगदान को डेतबट् तकया जा सके और प्रान (PRAN) केतलए एसआई िातपि तकया जा सके ।

10. ईएपीवाई पंजीकरण का तवकल्प चुनने वाले अतिदाि‍ाओं को तनम्नतलतखि बािें सुतनतिि करना चातहए :

(i) ईएपीवाई पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई जनसांख्यिकीय जानकारी बैंक ररकॉडि में दी गई जानकारी केसमान हो।

(ii) चयतनि पेंशन रातश (1000 - 5000 रुपये) केआधार पर एपीवाई की पहली तकि केतलए बचि खािे में पयाि‍ि शेष रातश हो।

(iii) एपीवाई खाि‍ा सतियण, आधार से प्राि सूचना केप्रमाणीकरण केबाद होि‍ा है, तजसमें नाम और जन्म-तितथ शातमल हैं।

पीओपी-एपीवाई ग्राहकों को ऑनलाइन पंजीकरण अस्वीकृ ति केबारे में सूतचि करिा है, कारण प्रदान करिा है, और सुधार केबाद उनके अनुरोधों को पुनः प्रिुि करने केतलए प्रोत्सातहि करिा है।

11. पीसीआरए द्वारा सीआरए पोट्िल और 'एपीवाई और एनपीएस लाइट' मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध सहमति िंत्र द्वारा मौजूदा एपीवाई अतिदाि‍ाओं के तलए आधार सीतडंग की सुतवधा प्रदान की जािी है। पीओपी – एपीवाई, सीआरए द्वारा प्रदान तकए गए फाइल प्रारूप का उपयोग करके सीतडंग हेिु सहमति के साथ आधार तववरण िी एकत्र कर सकिा है। ईएपीवाई सुतवधा के माध्यम से आधार सीतडंग का तवकल्प चुनिे समय, अतिदाि‍ाओं को यह सुतनतिि करना होगा तक उनका नाम और जन्म तितथ सीआरए ररकॉडि के साथ संरेतखि हो।

12. सिी पीओपी-एपीवाई को प्रोत्सातहि तकया जाि‍ा है तक वे अपनी कॉपोरेट् वेबसाइट्ों पर ईएपीवाई तलंक (https://enps.nsdl.com/eNPS/ApySubRegistration.html) शातमल करें िथा अतिदाि‍ाओं की ऑनबोतडिंग को बढाएं और आधार सीतडंग पर मागिदशिन प्रदान करें।

13. पीसीआरए द्वारा उनकी वेबसाइट् पर एपीवाई अतिदाि◌ाओं के तलए ईएपीवाई पर तदशातनदेश/एसओपी उपलब्ध कराया जाएगा और यह सुतनतिि तकया जाएगा तक तहिधारकों के तलए जानकारी आसानी से उपलब्ध हो।

भाग IV - मास्टि परिपत्र में समेभकत भकए गए परिपत्रं की सूची

क्र.सं.	पररपत्र संख्या	भतभि	लवषय
1	PFRDA/2021/44/SUP-CRA/17	27 अक्टूबर 2021	Facility of Online APY Subscription through Aadhaar e KYC
2	PFRDA/2022/08/SUP-CRA/02	21 अप्रैि 2022	eAPY - Ease of onboarding through Aadhaar
3	PFRDA/2023/02/SUP-CRA/02	10 जनिरी 2023	Empowering APY Subscribers with ease of Aadhaar Seeding - Launch of Seeding Convenience through CRA Portal & Mobile App